राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग

विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) योजना

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राष्ट्रीय आवास बैंक को 10,000 करोड़ रुपये की एक विशेष चलनिधि सुविधा प्रदान की है, जिससे कि बैंक आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के माध्यम से आवास क्षेत्र में चलनिधि की तरलता को बनाये रखे एवं इसके साथ ही अन्य प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अधिक सस्ती दरों पर निधि और क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

तदनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक ने **विशेष पुनर्वित्त सुविधा (एसआरएफ) योजना** आरम्भ की है। योजना का उद्देश्य आवास वित्त कंपनियों और अन्य पात्र प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों को अल्पकालिक पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है जो उनके चलनिधि जोखिम को आंशिक रूप से कम करेगी और समग्र आवास वित्त प्रणाली में अत्यधिक आवश्यक चलनिधि की उपलब्धता में सुधार करेगी। इस योजना के अंतर्गत कुल 10,000 करोड़ रु की राशि आवंटित की गयी है। योजना के तहत पात्रता मानदंड और अन्य पैरामीटर निम्नलिखित हैं

क	पात्र संस्थान	एचएफसी/आरआरबी/एसएफबी/एससीबी, केवल विशेष चलनिधि सुविधा के विशिष्ट उद्देश्य हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के अंतर्गत कुछ छूट के साथ पुनर्वित्त हेतु पात्र होंगे: • अधिकतम निवल एनपीए की सीमा 7.50% • कुल आस्तियों की तुलना में वैयक्तिक आवास ऋण का अनुपात न्यूनतम 51% जैसा कि उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के अंतर्गत है। • आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान द्वारा अपने ग्राहकों को अधिस्थगन की सुविधा प्रदान की गयी होनी चाहिए और इसका अधिस्थगन की अवधि के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह के कम से कम 15% पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना चाहिए।

<table>
<tr><td>ख</td><td>ऋण की अवधि</td><td>आहरण की तिथि से एक वर्ष तक। अनुमत अवधि के अंत में या इससे पूर्व किसी तिथि (पूर्व भुगतान के मामले में 30 दिनों के नोटिस के साथ) को चुकाना होगा।</td></tr>
<tr><td>ग</td><td>ब्याज</td><td>ब्याज दर प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक क्रेडिट रेटिंग पर आधारित होगी तथा ब्याज का भुगतान अन्य पुनर्वित्त योजनाओं पर ब्याज के भुगतान के साथ तिमाही आधार पर करना होगा।</td></tr>
<tr><td>घ</td><td>सुविधा के तहत पुनर्वित्त की सीमा</td><td>प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के निवल स्वाधिकृत निधि का 20% या, 750 करोड़ रु, जो भी कम हो।
पात्र राशि अधिस्थगन की अवधि (01/03/2020 - 31/05/2020) के दौरान आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के नकदी प्रवाह पर अधिस्थगन के प्रभाव के मूल्यांकन पर आधारित होगी।</td></tr>
<tr><td>ङ</td><td>पुनर्वित्त के लिए प्रतिभूति</td><td>जैसा राष्ट्रीय आवास बैंक की मौजूदा उदारीकृत पुनर्वित्त योजना (एलआरएस) के तहत लागू। इसके अलावा, आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को मांग वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
आहरण के समय, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान चिन्हित ऋण सूची प्रदान करेगा और यह भी वचन देगा कि इन ऋणों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा (राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के 16ख के तहत कवर किया जाएगा)।</td></tr>
<tr><td>च</td><td>उपयोग</td><td>आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को इस सुविधा के तहत आहरित निधियों का उपयोग एक वर्ष की अवधि में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणी जैसा कि नीचे उल्लिखित है, में आने वाले वैयक्तिक आवास ऋणों के संवितरण के लिए करने के लिए करना होगा।
<table><tr><td>न्यूनतम</td><td>अवधि</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td>25%</td><td>तीन महीने</td></tr>
<tr><td>50%</td><td>छह महीने</td></tr>
<tr><td>75%</td><td>नौ महीने</td></tr>
<tr><td>100%</td><td>एक वर्ष</td></tr>
</table>
आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान को हर तिमाही में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अनुपात प्राप्त नहीं करने की स्थिति में, 2% की अतिरिक्त ब्याज तब तक लिया जाएगा जब तक कि कमी को पूरा नहीं किया जाता।
</td>
</tr>
<tr>
<td>छ</td>
<td>आवेदन</td>
<td>
इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक आवास वित्त कंपनी/प्राथमिक ऋणदाता संस्थान निर्धारित प्रारूप (राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध) में यथा 31.03.2020 के अनंतिम तुलन पत्र के साथ तथा 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण के साथ अपना आवेदन महाप्रबंधक, पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग, राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली को प्रस्तुत कर सकते हैं।
यथा 31.03.2020 के तुलन पत्र और अन्य अनंतिम मापदंडों को संयुक्त रूप से सीईओ और सीएफओ द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
</td>
</tr>
</table>

वैयक्तिक आवास ऋण अनुपात, निवल स्वाधिकृत निधि तथा एनएनपीए अनुपात और प्राथमिक ऋणदाता संस्थान की आंतरिक रेटिंग अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र पर आधारित होनी चाहिए जो कि 31 मार्च, 2019 से पूर्व का न हो। जहां वित्त वर्ष 2020 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, प्राथमिक ऋणदाता संस्थान के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत सत्यापित किए गए अनंतिम वित्तीय विवरणों के आधार पर रेटिंग की जा सकती है और इस तरह के अनंतिम रेटिंग का उपयोग केवल एसआरएफ के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्राथमिक ऋणदाता संस्थान ध्यान दें कि यह एक अल्पकालिक चलनिधि सुविधा है और इसलिए, इच्छुक प्राथमिक ऋणदाता संस्थान से अनुरोध है कि वे समय पर प्रसंस्करण,

प्रलेखन और संवितरण के लिए विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों के पूर्ण सेट के साथ अपने भली भांति पूरे किये गए आवेदन को प्रस्तुत करें।

नई दिल्ली
29-04-2020
राष्ट्रीय आवास बैंक

महाप्रबंधक
पुनर्वित्त एवं परियोजना वित्त विभाग,

नोट: किसी भी विवाद की दशा में परिपत्र का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।